बिहार सरकार
गृह विभाग

अधिसूचना

अ0नि0(01)32/2025/स्था0....2572..../पटना, दिनांक 10/12/25

बिहार ई साक्ष्य प्रबंधन नियमावली, 2025

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 46) की धारा 2(1)(a) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अन्तर–संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आई0सी0जे0एस0) के अंतर्गत डिजिटल एकीकरण के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार निम्नलिखित नियमावली अधिसूचित करती हैः

अध्याय I

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ

1. यह नियमावली "बिहार ई–साक्ष्य प्रबंधन नियमावली, 2025" कही जा सकेगी, और यह नियमावली बिहार के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

परिभाषाएँ

2. इस नियमावली में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "सी०सी०टी०एन०एस०" से अभिप्रेत है, अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली, एक ऐसी सॉफ्टवेयर प्रणाली जिसका पुलिस द्वारा डेटा संग्रह और अनुदेशों के निष्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है;

(ख) "अभिरक्षा की श्रृंखला" से अभिप्रेत है डिजिटल साक्ष्य के संग्रहण, अंतरण और विश्लेषण की प्रलेखित आदेशिका, जो संहिता की धारा 193 (3) (ज) के अनुसार उसकी प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करती है;

(ग) "सी0आई0एस0" से अभिप्रेत है, वाद सूचना प्रणाली, एक ऐसी सॉफ्टवेयर प्रणाली जिसका उपयोग जिला न्यायपालिका और उच्च न्यायालयों द्वारा डेटा संग्रह और निर्देश निष्पादन के लिए किया जाता है;

(घ) "क्लाउड प्लेटफॉर्म" से अभिप्रेत है आईसीजेएस से जुड़ा सुरक्षित और अंतर संचालनीय डिजिटल संग्रहण ढाँचा;

(ड.) "डिजिटल साक्ष्य" में संहिता के प्रावधानों के अनुसार ई–साक्ष्य एप्लिकेशन के माध्यम से संग्रहीत सभी भू–अंकित(जियो टैग) और समय–मुद्रित (टाईम स्टैम्पिंग) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल हैं;

(च) "ई हस्ताक्षर" से अभिप्रेत है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्या 21) की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक तकनीक द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणीकरण, जिसमें डिजिटल हस्ताक्षर भी शामिल है। इसके अतिरिक्त जब इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार की गई किसी आदेशिका या रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाता है तो यह उस व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित माना जायेगा जिसने इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किया हो;

(छ) "उच्च न्यायालय" से अभिप्रेत है पटना उच्च न्यायालय;

(ज) "आई०सी०जे०एस०" से अभिप्रेत होगा अंतर – संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली जो आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न स्तंभों, जिनमें पुलिस स्टेशन, न्यायालय, जेल, विधिविज्ञान प्रयोगशाला, अभियोजन और केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित हितधारक शामिल हैं, के बीच सूचना का अंतरण करने के लिए संचालित एक सॉफ्टवेयर;

(झ) "जाँच पदाधिकारी" से अभिप्रेत है, कोई पुलिस पदाधिकारी या किसी अन्य सक्षम प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, जो किसी अपराध की जाँच करने के लिए सशक्त किया गया हो;

(ञ) "साक्ष्य" से अभिप्रेत है कोई ऐसा साक्ष्य, जो ई साक्ष्य मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से एक दस्तावेज के रूप में एकत्रित या रिकॉर्ड किये जाते हैं, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ, गवाहों के फोटोग्राफ तथा जाँच या रिकॉर्डिंग पदाधिकारी के फोटोग्राफ शामिल हैं। ई–साक्ष्य मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से रिकॉर्ड किया गया प्रत्येक साक्ष्य एक सुरक्षित डिजिटल पैकेट के रूप में बनाया जाएगा, (जिसे आगे "ई साक्ष्य पैकेट" कहा जायेगा) जिसमें एक विशिष्ट 16 अंकों की पहचान संख्या (एसआईडी) के साथ रिकॉर्डिंग प्रारंभ और समाप्ति के समय का मुहर और भौगोलिक स्थिति की जानकारी शामिल हो, होगी। प्रत्येक एसआईडी एवं उसकी सामग्री का एक विशिष्ट हैश वैल्यू होगा, जो उसकी अखंडता सुनिश्चित करेगा। साक्ष्य को अपरिवर्तनीय भंडारण में संग्रहीत किया जाएगा।

(ट) "संहिता" से अभिप्रेत है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 46);

(ठ) राज्य सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार; और

(ड) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा सहित 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 46), भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 45), भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 47) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का अधिनियम संख्या 21) में उनके लिए समनुदेशित है।

अध्याय II
जाँच पदाधिकारियों के कर्तव्य और शक्तियाँ

ई साक्ष्य ऐप का प्रयोग

3. प्रत्येक जाँच पदाधिकारीः

(क) भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता, 2023 की धारा–105, 173, 176, 180 185 एवं 497 के अन्तर्गत ई साक्ष्य मोबाईल ऐप के माध्यम से यथापेक्षित सभी सुसंगत साक्ष्य (विडियो/फोटो) रिकॉर्ड करेगा।

(ख) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा–63 (4) (ग) के अन्तर्गत भाग–'क' का प्रमाण–पत्र बनाएगा, जिसपर ऐप के माध्यम से ई हस्ताक्षर किया जायेगा।

(ग) सी०सी०टी०एन०एस० के माध्यम से प्रत्येक एसआईडी को तत्संबंधी प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ०आई०आर०) संख्या या सामान्य डायरी संख्या से जोड़ेगा।

(घ) साक्ष्य को अपरिवर्तनीय क्लाउड भंडारण पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगा, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 105 एवं 185 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को अग्रसारित किया गया समझा जायेगा।

(ड.) विचारण के समाप्ति पर ई साक्ष्य के पैकेट को संग्रहित करेगा।

अध्याय III
न्यायालय की शक्तियाँ एवं भूमिका

न्यायालय की पहुँच और निरीक्षण

4. न्यायालय की पहुँच और निरीक्षण :

(क) न्यायालय आईसीजेएस से एकीकृत सीआईएस या साक्ष्य पोर्टल के माध्यम से साक्ष्य तक पहुँचेगा और उसका प्रबंधन करेगा।

(ख) संहिता की धारा 230 के अधीन आरोपी एवं पीड़ित के वकील के साथ साक्ष्य साझा करने की अनुमति दे सकेगा।

(ग) इस नियमावली की कोई बात लागू विधि के अनुसार न्यायालयों की साक्ष्य को देखने और उसपर निर्भर रहने की शक्ति को बाधित नहीं करेगी।

अध्याय IV
कार्यचालन ढाँचा

ई साक्ष्य का अनिवार्य उपयोग

5. संज्ञेय अपराधों में ई साक्ष्य का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाएगा जहाँ:

(क) अपराध जिसमें दंड 7 वर्ष या उससे अधिक का हो;

(ख) विधिविज्ञान जाँच किया जाना अपेक्षित हो;

(ग) तलाशी और जब्ती की गयी हो; या

(घ) अपराध स्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग संहिता के अधीन अनिवार्य हो।

तकनीकी विवरण

6. तकनीकी विवरण:

(क) प्रत्येक ऑडियो–वीडियो रिकॉर्डिंग 4 मिनट तक सीमित होगी; आवश्यकतानुसार एक से अधिक रिकॉर्डिंग बनाई जा सकेगी।

(ख) सभी रिकॉर्डिंग एवं फोटोग्राफ में स्वतः भू–अंकित (जियो टैग) और समय–मुद्रित (टाईम स्टैम्पिंग) होगा।

(ग) जाँच पदाधिकारी रिकॉर्डिंग के बाद अपनी उपस्थिति की पुष्टि के लिए अपना स्वयं द्वारा लिया गया फोटो (सेल्फी) अपलोड करेगा।

(घ) साक्ष्य विशिष्ट हैश वैल्यू के साथ एमपी4 (वीडियो) एवं जेपीईजी (इमेज) में कूटबद्ध एवं संग्रहीत किया जायेगा।

आधारभूत संरचना और प्रशिक्षण

7. आधारभूत संरचना और प्रशिक्षण:

(क) जाँच पदाधिकारियों को उपयुक्त उपकरण और इंटरनेट सुविधा प्रदान किया जाएगा।

(ख) राज्य सरकार प्रशिक्षण तथा आधारभूत संरचना के खरीद एवं रख–रखाव हेतु आवश्यक निधि आवंटित करेगी।

अध्याय V
साक्ष्य संग्रह हेतु प्रक्रिया

अपराध स्थल की वीडियोग्राफी

8. जाँच पदाधिकारी द्वारा गवाहों की तस्वीर लिया जाएगा तथा संहिता की धारा–176 के अन्तर्गत अपराधस्थल की तुरंत रिकॉर्डिंग किया जाएगा।

तलाशी और जब्ती

9. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 105 के अधीन तलाशी और जब्ती की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जायेगी। जब्त की गई सामग्रियों के विडियो/विडियोग्राफ/फोटोग्राफ पाठ के साथ–साथ पी0डी0एफ प्रारूप में ई–साक्ष्य अनुप्रयोग पर अपलोड किये जायेंगे।

अभिरक्षा की श्रृखंला

10. जाँच पदाधिकारी अधिकृत विधिविज्ञान एजेंसियों को साक्ष्य हस्तांतरण करने को रिकॉर्ड करेगा, साथ ही उसे अपलोड करेगा एवं डिजिटल लॉग भी संधारित करेगा।

अपलोड और एकीकरण

11. डिजिटल साक्ष्य 24 घंटे के भीतर अपलोड किया जाएगा। यदि नेटवर्क विफलता के कारण विलंब होता है, तो उसे भी रिकॉर्ड किया किया जायेगा। आई0सी0जे0एस0 के माध्यम से सभी हितधारकों तक साक्ष्य की पहुँच होगी।

अध्याय VI
अनुपालन और निरीक्षण

न्यायालय में प्रस्तुतीकरण

12. संबंधित मजिस्ट्रेट को साक्ष्य अपलोड करने के 48 घंटे के भीतर भेजी जायेगी। प्रत्येक प्रस्तुतीकरण के साथ में डिजिटल हस्ताक्षर वाला अधिप्रमाणिकता प्रमाण–पत्र भी होगा।

अनुश्रवण तंत्र

13. राज्य पुलिस मुख्यालय, गृह विभाग, बिहार सरकार की सलाह से कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए एक नोडल पदाधिकारी (पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से अन्यून) नियुक्त करेगा।

अनुपालन न करने पर दंड

14. बिना ठोस कारण के अनुपालन न करनेवाला जाँच पदाधिकारी राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित अनुशासनात्मक कार्रवाई का भागी होगा।

अध्याय VII
प्रकीर्ण

सार्वजनिक पहुँच

15. संहिता की धारा 37 के अधीन गिरफ्तार व्यक्तियों से संबंधित जानकारी थाना पर ई साक्ष्य के माध्यम से डिजिटल रूप में प्रदर्शित की जा सकेगी।

न्यायिक विवेक

16. इन नियमों में कोई भी बात न्यायालय द्वारा साक्ष्य देखने की शक्ति को सीमित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

समीक्षा एवं संशोधन

17. गृह विभाग, बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) के परामर्श से इन नियमों की वार्षिक समीक्षा की जायेगी और तकनीकी या कार्यचालन विकास हेतु इन्हें संशोधित किया जा सकेगा।

व्यावृत्ति खंड

18. यह नियमावली भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का अधिनियम संख्या 47) के प्रावधानों के अनुसार न्यायालय द्वारा साक्ष्य को स्वीकार करने और प्रबंधन करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून या नियमावली के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

10/11/25

(सुधांशु कुमार चौबे)

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ0नि0(01)32/2025(स्था0)......2572....../ दिनांक......10/12/25

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सी0डी0 राईट कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने की कृपा की जाय तथा प्रकाशित गजट की 500 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

10/12/25

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ0नि0(01)32/2025(स्था0)......2572....../ दिनांक......10/12/25

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को सी0डी0 राईट कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना को ई–गजट में प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

10/12/25

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ0नि0(01)32/2025(स्था0)......2572....../ दिनांक......10/12/25

प्रतिलिपिः– राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/पुलिस महानिदेशक/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/सभी पुलिस अधीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

10/12/25

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ0नि0(01)32/2025(स्था0)......2572....../ दिनांक......10/12/25

प्रतिलिपिः– विद्वान महाधिवक्ता, बिहार एवं महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

10/12/25

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ0नि0(01)32/2025(स्था0)......2572....../ दिनांक......10/12/25

प्रतिलिपिः– भारत सरकार, कानून एवं न्याय मंत्रालय को सूचनार्थ प्रेषित।

10/12/25

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

ज्ञापांक अ0नि0(01)32/2025(स्था0)......2572....../ दिनांक......10/12/25

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना/प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

10/12/25

विशेष सचिव–सह–प्रभारी निदेशक।

Government of Bihar
Home Department

Notification

Pro.Dir. (01)32/2025/Estt...2572 / Patna, Dated ...10../12../25..../

The Bihar e-Sakshya Management Rules, 2025

In exercise of the powers conferred by section 2(1)(a) of The Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) and in furtherance of the objectives of digital integration under the Inter-operable Criminal Justice System (ICJS), the Government of Bihar notifies the following rules namely:

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement

1. These rules may be called the Bihar e-Sakshya Management Rules, 2025 and they shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette of Bihar.

Definitions

2. In these rules, unless the context otherwise requires, -
   a) "CCTNS" means Crime and Criminal Tracking Network and Systems, a system software used by the Police for the collection of data and execution of instructions;
   b) "Chain of custody" means the documented process of collection, transfer, and analysis of digital evidence ensuring its authenticity and integrity, as per Section 193(3)(h) of the Sanhita;
   c) "CIS" means Case Information System, a system software used by the District Judiciary and High Courts for the collection of data and execution of instructions;
   d) "Cloud platform" means a secure and interoperable digital storage infrastructure integrated with ICJS;
   e) "Digital evidence" includes all geo-tagged, time-stamped electronic records captured through the e-Sakshya application, in accordance with the provisions of the Sanhita;
   f) "eSign" means authentication of any electronic record by a subscriber or Court, by means of the electronic technique specified in the Second Schedule of the Information Technology Act, 2000 (Act No. 21 of

2000) and includes digital signature. Also, when a process or report generated in electronic form is authenticated by means of electronic signature, it shall be deemed to be authenticated by signature of the person who affixed the electronic signature;

g) "High Court" means the High Court of Judicature at Patna;

h) "ICJS" shall mean Inter-operable Criminal Justice System a software presently in operation for transfer of information among various pillars of criminal justice system, which includes investigating agencies, courts correctional homes, forensic laboratories, prosecution, and any other stakeholder as notified by the Central Government;

i) "Investigating Officer" means any police officer or any other person authorized by a competent authority or empowered to undertake investigation for any offence;

j) "Sakshya" means any evidence collected/ recorded as a document through e-Sakshya Mobile Application. Sakshya consists of video recording(s), photograph(s), photograph(s) of witness(s) etc., and photograph of the investigating/recording officer. All evidence recorded through e-Sakshya application shall generate a secure packet of the event (hereinafter referred to as "e-Sakshya Packet" with a unique ID called SID, a unique 16 Digit ID (SID) with opening, closing time stamp and geo-location. Each SID and its contents will have unique hash value to ensure integrity. e-Sakshya will be stored in immutable storage;

k) "Sanhita" means the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023) ;

l) "State Government" means the Government of Bihar; and

m) Words and expressions used, but not defined in these rules shall have the same meaning as assigned to them in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Act No. 46 of 2023); the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Act No. 45 of 2023); the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, (Act No. 47 of 2023) and the Information Technology Act, 2000 (Act No. 21 of 2000)

CHAPTER II

RESPONSIBILITIES OF INVESTIGATING OFFICERS

Use of e-Sakshya application.

3. Every Investigating Officer shall:
   a) Record all relevant evidence (video/photo) as required under Sections 105, 173, 176, 180, 185 and 497 of the Sanhita through the e-Sakshya application.
   b) Generate a certificate under Section 63(4) (c) [Part-A of the certificate] of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, which shall be e-signed via the application.
   c) Link each SID with the corresponding FIR number or Station Diary (SD) number generated through CCTNS.
   d) Ensure upload of Sakshya to the immutable cloud storage which shall be deemed forwarded to the Magistrate under Sections 105 and 185 of the Sanhita.
   e) Archive e-Sakshya Packets upon conclusion of the trial.

CHAPTER III
POWERS AND ROLE OF COURTS

Access and oversight by courts.

4. Access and oversight by courts:
   a) Courts shall access and manage Sakshya through the CIS or Sakshya portal integrated with ICJS.
   b) Courts may permit sharing of Sakshya with the accused and the victim's counsel under Section 230 of the Sanhita.
   c) Nothing in these rules shall restrict the Courts' power to view and rely upon Sakshya as per applicable law.

CHAPTER IV
OPERATIONAL FRAMEWORK

Mandatory use of e-Sakshya.

5. e-Sakshya application shall be mandatorily used in cognizable offences where:
   a) Punishment is for seven or more than seven years of imprisonment;
   b) Forensic examination is required;
   c) Search and seizure is carried out; or
   d) Crime scene videography is mandated under the Sanhita.

Technical details.

6. Technical details:
   a) Each audio-video recording shall be limited to four (4) minutes; multiple files as per requirement may be created.
   b) Geo-tagging and time-stamping shall be automatically applied to all recordings and photographs.
   c) Investigating Officer shall upload a selfie at the end of each session to confirm presence.
   d) Evidence shall be encrypted and stored in MP4 (video) and JPEG (image) formats with unique hash values.

Infrastructure and training.

7. Infrastructure and training:
   a) Investigating officers shall be provided with compatible devices and internet connectivity.
   b) State Governments shall allocate necessary funds for training, and purchase and maintenance of infrastructure.

CHAPTER V
PROCEDURE FOR COLLECTION OF EVIDENCE

Crime scene videography.

8. Investigating officer shall photograph the witnesses and; immediately record the scene of crime under Section 176 of the Sanhita.

Search and seizure.

9. Entire proceedings of search and seizure under Section 105 of the Sanhita shall be videographed. Videos/videographs /photographs of seized items shall be uploaded alongside in text or PDF format on the e-Sakshya application.

Chain of custody.

10. Investigating officer shall record and upload the handover of evidence to authorized forensic agencies, maintaining digital logs.

Upload and integration.

11. Digital evidence shall be uploaded within 24 hours unless delay is due to connectivity failure, which shall be recorded. Evidence shall be accessible through ICJS to authorized stakeholders.

CHAPTER VI
COMPLIANCE AND OVERSIGHT

Submission to courts.

12. Evidence shall be forwarded to the concerned Magistrate within 48 hours of upload. Each submission shall be accompanied by a digitally signed Certificate of Authenticity.

Monitoring mechanism

13. The State Police Headquarters in consultation with the Home Department, Government of Bihar shall appoint a Nodal

Officer (not below the rank of Superintendent of Police) to oversee implementation.

Penalties for non-compliance.

14. Investigating Officers failing to comply without valid reason shall be liable for disciplinary action, as determined by the State Government.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

Public access.

15. Information relating to arrested persons, under Section 37 of the Sanhita may be displayed digitally at police stations through e-Sakshya.

Judicial discretion.

16. Nothing in these rules shall be deemed to limit the power of the Courts to view the Sakshya by the Court.

Review and amendment.

17. These rules shall be reviewed annually by the Home Department, Government of Bihar in consultation with the National Informatics Centre (NIC) and may be amended to address technological or operational developments.

Saving Clause.

18. These rules shall be in addition to, not in derogation of any other Law or Rules for time being in force for accepting and managing Sakshya by the Court in terms of the provisions of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (Act No. 47 of 2023).

By the order of The Governor of Bihar

10/12/25

(Sudhanshu Kumar Choubey)
Special Secretary-cum-incharge Director

Memo No. Pro.Dir. (01)32/2025/Estt. 2572 / Patna, Dated 10/12/25

Copy Forwarded to :- Superintendent Secretariat Printing Press, Guljarbag, Patna with C.D. right Copy with request to publish in extraordinary issue of Bihar Gazette and provide 500 copies to this department.

10/12/25

Special Secretary-cum-incharge Director

Memo No. Pro.Dir. (01)32/2025/Estt..2572 / Patna, Dated ..10/12/25

Copy Forwarded to :- Incharge Officer, e-gazette cell finance department with C.D. right Copy with request to publish above notification in e-gazette.

10/12/25

Special Secretary-cum-incharge Director

Memo No. Pro.Dir. (01)32/2025/Estt..2572 / Patna, Dated ..10/12/25

Copy Forwarded to :- Principal Secretary of Governor/ Principal Secretary of Chief Minister/ All Additional Chief Secretary/ All Principal Secretary/ Director General of Police/ All Secretary/ All Head of Department/ All Divisional Commissioner/ All District Magistrate/ All Senior Superintendent of Police/ All Superintendent of Police, Bihar for information and necessary action.

10/12/25

Special Secretary-cum-incharge Director

Memo No. Pro.Dir. (01)32/2025/Estt..2572 / Patna, Dated ..10/12/25

Copy Forwarded to :- Advocate General of Bihar and Registrar General, The High Court of Judicature at Patna for information and necessary action.

10/12/25

Special Secretary-cum-incharge Director

Memo No. Pro.Dir. (01)32/2025/Estt..2572 / Patna, Dated ..10/12/25

Copy Forwarded to :- Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Justice, New Delhi for information.

10/12/25

Special Secretary-cum-incharge Director

Memo No. Pro.Dir. (01)32/2025/Estt..2572 / Patna, Dated ..10/12/25

Copy Forwarded to :- I.T Manager, Home Department, Bihar/Programmer, Directorate of Prosecution, Bihar for information and necessary action.

10/12/25

Special Secretary-cum-incharge Director